Year	Budgetory	Allocation	Actual	Outlays
	Family Welfare Programme	Minimum Needs Programme	Family Welfare Programme	Minimum Needs Programme
B: EIGHTH PLAN PERIOD:				
1992-93	100000.00	39103.15	104100.00	30081.67
1993-94	127000.00	40367.30	142357.00	31277.74
1994-95	143000.00	38617.84		

केसरी दाल के उत्पादन पर प्रतिबंध

2921. **श्री सोमपालः**
श्री शारदा मोहन्तीः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 29 जून, 1994 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार में कोई सत्यता है कि राजधानी दिल्ली में 150 क्विंटल केसरी दाल बरामद की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि केसरी दाल में कुछ ऐसे विषैले तत्व पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि हमारे देश के कुछ राज्यों में इस दाल के उत्पादन एवं व्यापार पर प्रतिबंध है और कुछ राज्यों में इस पर प्रतिबंध नहीं है तथा यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ निजी संगठनों एवं संस्थानों ने हाल ही में सरकार को यह बताया है कि उनकी जांच एवं अध्ययन के अनुसार केसरी दाल में कोई हानिकारक तत्व विद्यमान नहीं है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके इस दावे की जांच अपनी अनुसंधान शालाओं में करायी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ सी॰ सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केसरी दाल में एक विषैला रसायन होता है जो शरीर के केन्द्रीय स्नायु तंत्र पर कुप्रभाव डालता है जिससे शरीर के निचले अंगों में लैथिरिज्म (पक्षाघात) होता है।

(घ) बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सरकार को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ङ) केसरी दाल के हानिकारक प्रभावों से संबंधित निष्कर्षों को न मानने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय रोगों की जांच के उपकरणों का उपलब्ध न होना

2922. **श्री सोमपालः**
श्री शंकर दयाल सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1994 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय रोगों की जांच के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण अस्पताल में इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस अस्पताल में इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यदि हां, तो कब तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अधिकांश परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है।

सी०जी०एच०एस० अंशदान में वृद्धि

2923. **श्री प्रमोद महाजन:**
श्री रामदास अग्रवाल:
श्री सतीश अग्रवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सी०जी०एच० एस० अंशदान की दर बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए अंशदान की दर में हाल ही में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना को स्वैच्छिक बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण नीचे दिए गए हैं:—

वेतन रुपये में	प्रतिमाह योगदान (रु० में)
1200 रु० तक	5
1201 से 1500 तक	10
1501 से 1800 तक	15
1801 से 2500 तक	20
2501 से 3200 तक	25
3201 से 4000 तक	30
4001 से 5000 तक	40
5000 से ऊपर	50

(ग) यह योजना केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। परन्तु वे कर्मचारी जिनके पति/पत्नी रक्षा अथवा रेल सेवा, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अंशत: अथवा पूर्णत: वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों अथवा निकायों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों में कार्यरत है, इसमें शामिल नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) अंशदान की दरों में वृद्धि के बाद भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बुनियादी तौर से सेवारत और सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक कल्याण कारी योजना है। यह वृद्धि भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के बराबर नहीं है।

Admission of Aids Patients In Hospitals

2924. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to
state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Marathi Daily 'Samana' published from Mumbai on 18th May, 1994 on the notice given by a young AIDS affected prostitute who was refused admission in local Sasson Hospital for treatment;

(b) whether Government have given any specific instructions or guidelines on admission of AIDS affected patients; and

(c) whether Government will issue specific instructions to all the State owned hospitals, Municipal hospitals to admit AIDS affected patients without any delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) The Government of Maharashtra have informed that the patient was not refused admission. She was admitted in the hospital on 28-3-94, given treatment and discharged on 16-5-94.